

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPLE BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 601 of 2024

AKILESH KUMAR

---- APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

---- RESPONDENTS

PARA WSIE REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.
/DGMS

1-3. That the contents of Para 1 to3 needs no reply.

4.

4.1. That the contents of Para 4.1 of the application is matter of record.

4.2. That the contents of Para 4.2 of the application is matter of record.

4.3. That the contents of Para 4.3 of the application is matter of record.

4.4. That it is submitted that no permission has issued for the Gata No.288 as per the available office records and an NOC issued for ANFO mixing shed at Gata No.288, Majhol Tehsil, Charkhari, District-Mahoba vide letter no.6908 dt.09.02.2018 was also cancelled vide letter no.491 dt.22.04.24 well before the reply of RTI. Therefore at the time of RTI reply no Valid permissions were in existence. The copy of the cancellation of NOC is annexed as Annexure-A.

- 4.5. That the contents of Para 4.5 needs no reply from the Answering respondent.
- 4.6. That in reply to the contents of Para 4.6 it is submitted that answering respondent did not receive any information regarding any accident.
- 4.7. That the contents of Para 4.7 needs no reply from the answering respondent.
- 4.8. That the contents of Para 4.8 of the application is matter of record.
- 4.9. That the contents of Para 4.9 of the application needs no reply from the answering respondent.
- 5.0. That it is submitted that illegal mining activities did not come under the purview of Mines Act, 1952.
6. That the answering respondent shall file additional reply as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

RESPONDENT NO. 2

DIRECTOR OF MINES SAFETY

18.12.2024

THROUGH

GIGI.C. GEORGE
ADVOCATE

STANDING COUNSEL(UOI)
NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Email: gigicgeorge.adv42@yahoo.in

M-9810625315



भारतसरकार/ Government of India

श्रमएवंरोजगारमंत्रालय/ Ministry of Labour & Employment
खानसुरक्षामहानिदेशालय/ Directorate General of Mines Safety
गाजियाबादक्षेत्र, गाजियाबाद/ Ghaziabad Region, Ghaziabad



Telephone (office): 0120 2711597, website: www.dgms.gov.in, email: gzbregion.dgms@gmail.com

कमरा संख्या- 101 - 102, प्रथम तल, बी.ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स-III, हाफुड रोड, गाजियाबाद- 201002

पत्र संख्या.निदेशक/गाजियाबाद क्षेत्र/महोबा/ 491

गाजियाबाद,

दिनांक: 22/04/2024

प्रेषक:

खान सुरक्षा निदेशक,
गाजियाबादक्षेत्र, गाजियाबाद

सेवा में,

श्री अजय सिंह पार्टनर,
मैसर्स अजय इण्टर प्राइजेज,
किदवई नगर, कबरई, जिलामहोबा (उत्तर प्रदेश)-210427,

विषय: ए.एन.एफ.ओ. मिक्सिंग शेड हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 115(1) (ए) के अनुसार निरस्त करने के संबंध में।

साहोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में इस निदेशालय के ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आराजी संख्या- 288, गाँव मझौल, तहसील चरखारी, जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) में ए.एन.एफ.ओ. मिक्सिंग शेड हेतु दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) संख्या: उ.ओन/गवा.क्षेत्र/6908, ग्वालियर दिनांक 09.02.2018 को कृपया संदर्भित करें। इस अनापत्ति प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि मैसर्स अजय इण्टर प्राइजेज, पार्टनर श्री अजय सिंह द्वारा ए.एन.एफ.ओ. का उपयोग केवल मझौल स्टोन खान (गाटा संख्या- 288) ग्राम मझौल, तहसील चरखारी जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) में किया जाएगा।

श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी, खान मालिक- मझौल स्टोन खान (गाटा संख्या- 288) ग्राम मझौल, तहसील चरखारी जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) ने अपने पत्र संख्या शून्य, दिनांक 04.01.2024 द्वारा इस निदेशालय को सूचित किया है कि उनके पक्ष में जारी खनन पट्टे की अवधि दिनांक 17.01.2020 को समाप्त हो चुकी है। खान अधिकारी, महोबा ने अपने पत्रांक 1895/एम.एम.सी. 30-खनिज/2023-24, दिनांक 02.01.2024 द्वारा इस निदेशालय को सूचित किया है कि खनन पट्टे महोबा की तहसील चरखारी स्थित ग्राम- मझौल के गाटा संख्या- 288, स्वबा 2.00 एकड़ क्षेत्र में श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी के पक्ष में जारी इमारती पत्थर, खण्डा/गिट्टी/बोल्डर का खनन पट्टा 10 वर्ष की अवधि (17.01.2010 से 16.01.2020) हेतु जारी किया गया है।

उपरोक्त के मध्येनजर मझौल स्टोन खान (गाटा संख्या- 288) श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी ग्राम मझौल, तहसील चरखारी जिला महोबा (उत्तर प्रदेश) का खनन पट्टा दिनांक 16.01.2020 को समाप्त हो गया है।

अतः आपके पक्ष में गाँव मझौल के गाटा संख्या- 288 में ए.एन.एफ.ओ. मिक्सिंग शेड हेतु इस निदेशालय द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या उ.ओन/गवा.क्षेत्र/6908, ग्वालियर दिनांक 09.02.2018 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय

ह/-


खान सुरक्षा निदेशक
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

231

ज्ञापन पत्र संख्या:निदेशक/गाजियाबाद क्षेत्र/महोबा/492-493 गाजियाबाद,
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक: 22/04/2024

1. The Dy. Controller of Explosives (for Joint Chief Controller of Explosives, Central Circle Petroleum & Explosives Safety Organisation(PESO), Formely- Department of Explosives, 63/4, A-Wing, II floor, Kendralaya (CGO Complex), Sanjay Palace, Agra (UP)- 282002. Mail Id : ykmishra@explosives.gov.in
2. District Magistrate Mahoba-210427, Mail Id: dmmab@nic.in


खान सुरक्षा निदेशक
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

क प्र